राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ..2349 एवं 2350/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स शार्प बिजनेस सिस्टम (इण्डिया) लि0, अजमेर पुलिया, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, एकादश, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.11.2016	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम गोगरा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित। यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2016 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किये गये हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नतालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार किया। जिसके विरूद्ध यह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 38(4) सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है। दोनों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रतियां प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावें।	

अ.सं.	वित्तीय वर्ष	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	विवादित अन्तर कर राशि
1	2	3	4	5	6
2349/16	10–11	17,03,382	2,74,666	14,28,716	1,37,333
2350/16	11–12	39,23,024	2,41,914	36,81,110	1,20,957

उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने स्थगन प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अपीलार्थी फर्म द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स एप्लायांसेज, मोबाइल फोन, प्रिंटर कार्टेज आदि का व्यापार किया जाता है। जिन पर 5 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित कर राजकोष में अदा किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त संव्यवहारों पर अविधिक रूप से वेट अनुसूची V के तहत 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए अन्तर कर आरोपित किया तथा बिना स्टॉक की संगणना किये व एकल लाभ इत्यादि को ध्यान में रखे बिना कम स्टॉक अवधारित कर करवंचना हेतु कर, शास्ति व ब्याज का आरोपण किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 24.10.2016 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करते हुए उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 4 में वर्णित राशियों को उनके समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णय तक स्थगित किया

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2349 एवं 2350 / 2016.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09 / 11 / 2016	एवं शेष मांग राशियों को स्थगित नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेशों में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने निवेदन किया कि प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों की वसूली अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की गयी। उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेशों दिनांक 24.10.2016 का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की यह दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में उपरोक्त तालिका में वर्णित अन्तर कर राशि का निर्धारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित आधार पर किया गया है। अतः उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित अन्तर कर राशियों को स्थगित किया जाना प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। तथापि अन्य राशियों के लिये प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन आंशिक रूप से अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरणों में वसूली योग्य बकाया मांग राशियों में से अन्तर कर राशियों को छोडते हुए शेष मांग राशियों की वसूली कार्यवाही इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के समक्ष 15 दिवस के भीतर तालिका के कॉलम संख्या 6 में वर्णित अन्तर कर राशियों को जमा कराने का सबूत पेश करेंगे तथा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उनके समक्ष लम्बित अपीलों पर नियमित रूप से सुनवाई करते हुए उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 9.11.2016 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	